कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी, बेमेतरा

जिला बेमेतरा छत्तीसगढ़

ई–मेल cg.deo.bemetara@gmail.com

//संशोधित आदेश//

क्रमांक/ 8429 /अशास.मान्यता/अनुमति/2024/ बेमेतरा, दिनांक 29.04.2024

बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा कानून 2009 के खण्ड 18 के उद्देश्य के लिये बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य कानून के नियम के उप नियम (4) के तहत विद्यालय को अनुमति/मान्यता प्रमाण पत्र प्रबंध कार्यकारी समिति द्वारा प्रस्तुत कक्षा अनुमति/मान्यता नवीनीकरण आवेदन एवं तदविषयक प्रस्तुत परिशिष्ट–1 साथ ही संलग्न प्रमाणों (स्टॉफ विवरण रक्षित निधि) घोषणा पत्र उपलब्ध शाला भवन स्वतः/किरायानामा छात्र संख्या आदि के आधार पर विद्यालय को वर्णित प्रावधान अनुसार निम्नांकित शर्तों के अधीन शाला संचलन की अनुमति प्रदान की जाती है।

क.	वि.ख. का नाम	प्रबंध समिति का नाम	संस्था का नाम	संकाय/विषय	माध्यम	कक्षा
1	2	3	4	5	6	7
1	बेरला	गांधी विद्या मंदिर सरदार शहर राजस्थान चुरू	प्रेरणा विद्यालय, कठिया	गणित, विज्ञान, कला, वाणिज्य	अंग्रेजी	नर्सरी से 12वीं

उपरोक्त स्वीकृति निम्नालिखित शर्तों की पूर्ती की अध्यधीन होगीः–

1. मान्यता विस्तारित नहीं होगी तथा कक्षा से आगे मान्यता/संबद्वता की कोई बाध्यता किसी भी रूप में विवक्षित नहीं होगी ।
2. स्कूल निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 तथा निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2010 के उपबंधों का पालन करेगा।
3. स्कूल, अपने पड़ोस की सीमा के वंचित समूह तथा कमजोर वर्ग के लिए बालकों का आरंभिक कक्षा में न्यूनतम 25 प्रतिशत प्रवेश देगा। उस दशा में स्कूल यदि सहायता प्राप्त स्कूल है तो उसमें प्रवेशित बालकों का उस अनुपात में निःशुल्क और अनिवार्य प्रारभिंक शिक्षा देगा जिस रूप में उसके वार्षिक आवर्ती व्यय को पूरा करने हेतु इस प्रकार वार्षिक आवर्ती सहायता या अनुदान प्राप्त होता है किन्तु यह न्यूनतम पच्चीस प्रतिशत के अधीन होगा बशर्ते की जहाँ स्कूल पूर्व स्कूल (प्री–स्कूल) शिक्षा देता है वहाँ अधिनियम की धारा 12 की उपधारा (1) के खण्ड (क) से (ग) के उपबंध प्री–स्कूल में प्रवेश के लिए लागू होंगे ।
4. पैरा 3 में निर्दीष्ट बालकों के लिए स्कूल को अधिनियम कि धारा 12 (2) के अनूसार व्यय की प्रतिपूर्ती की जायेगी तथा ऐसी प्रतिपूर्ती प्राप्त करने के लिए स्कूल को पृथक से बैंक खाता उपलब्ध कराना होगा।
5. सोसायटी/स्कूल कोई भी कैपिटैशन फीस का संग्रह नहीं करेगा तथा बालक या उसके पालक या अभिभावक के साथ किसी छानबिन प्रकिया को नहीं अपनाएगा ।
6. स्कूल किसी भी बालक को प्रवेश देने से इंकार नहीं करेगा।
   (क) आयु साबूत के अभाव में
   (ख) यदि प्रवेश के विहित की गयी विस्तारित कालावधि के पश्चात् प्रवेश प्रवेश चाहा गया है।
   (ग) धर्म जाति या मूलवंश मूल स्थान या इनमें से किसी भी आधार पर
7. स्कूल सुनिश्चित करेगा कि –
   (एक) किसी स्कूल मे प्रारभिंक शिक्षा पूर्ण होने तक किसी भी बालक को किसी कक्षा में रोका या निष्कासित नहीं किया जायेगा ।
   (दो) किसी बालक को शारीरिक दंड या मानसिक रूप से प्रताड़ित नहीं किया जायेगा ।
   (तीन) प्रारभिंक शिक्षा पूर्ण होने तक बालक को काई बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण करने की अनिवार्यता नहीं होगी
   (चार) नियम 19 के अधिन प्रारभिंक शिक्षा पूर्ण करने वाले प्रत्येक बालक को प्रमाण पत्र दिया जायेगा ।
   (पांच) अधिनियम के उपबंधो के अनुसार ।
   (छः) अधिनियम कि धारा 23 (1) के अधीन निर्धारित न्यूनतम योग्यता अनुसार शिक्षकों कि भर्ती कि जायेगी बशर्ते कि वर्तमान में कार्यरत जो शिक्षक इस अधिनियम के प्रारंभ होने पर न्यूनतम आर्हता नही रखते हैं उन्हें अधिनियम के प्रारंभ होने से पांच वर्ष कि अवधि में निर्धारित न्यूनतम आर्हता प्राप्त करनी होगी ।
   (सात) शिक्षकों को अधिनियम कि धारा 24 (1) के अधीन विनिर्दिष्ट उसके कर्तव्यों का पालन करना होगा।
   (आठ) प्राइवेट शिक्षण गतिविधियो में शिक्षक स्वंम भाग नहीं लेंगे/लेगी

(नौ) भारत के राष्ट्रीय भवन संहिता भाग–4 के अधीन विनिर्दिष्ट सन्नियमों के अनुरूप अग्नि सुरक्षा कि व्यवस्था स्थापित हो ।

(दस) प्रतिवर्ष बच्चों से प्रभारित कि जाने वाली फिस ऐसी रीति के अधिसूचित की जाय जो आयुक्त राज्य शिक्षा केन्द्र द्वारा शैक्षणिक सत्र के प्रारंभ होने के पूर्व निर्देशित की जाय तथा इसकी सूचना शैक्षणिक सत्र प्रारंभ होने के पूर्व जिला शिक्षा अधिकारी को भी दी जाय ।

8. स्कूल समुचित प्राधिकारी द्वारा निर्धारित पाठ्य चर्चा का अनुसरण करेगा।
9. स्कूल अधिनियम कि धारा 19 में विहित किये अनुसार स्कूल में उपलब्ध सुविधाओं के अनुपात में बालकों का नामांकन करेगा ।
10. स्कूल द्वारा अधिनियम कि धारा 19 में विनिर्दिष्ट स्कूल के मानक एवं मापदंड बनाय रखे जाएंगे । अंतिम निरीक्षण के समय स्कूल में उपलब्ध सुविधाएं निम्नानुसार पायी गई:–

    स्कूल परिसार का क्षेत्रफल – 30900 वर्ग मीटर
    कुल निर्मित क्षेत्रफल – 2880 वर्गमीटर
    खेल मैदान का क्षेत्रफल – 12000 वर्गमीटर
    कक्षाओं के कमरों की संख्या – 18
    प्रधानाध्यापक कक्ष –सह –कार्यालय सह– स्टोर कक्ष – है
    लड़के और लड़कियों के लिए पृथक प्रसाधन– बालक–08, बालिका–06
    स्वच्छ पेय जल सुविधा है (फ्रीजर, वाटर फिल्टर सहित)–नल
    माध्यान्ह भोजन के लिए रसोई घर–
    बाधा रहित प्रवेश की सुविधा – है
    पठन–पाठन सामग्री / खेल एवं खेल कूद उपकरण / पुस्तकालय कि उपलब्धता ।

11. लेख संपरिक्षित किये जाएंगे तथा, चार्टड एकाउन्टेंट द्वारा सत्यापित होगें और प्रतिवर्ष जिला शिक्षा अधिकारी को भेजी जायेगी ।
12. स्कूल ऐसी रिपोर्ट और जानकारी प्रस्तुत करेगा जो राज्य शिक्षा केन्द्र / जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा समय –समय पर आपेक्षित कि जाय और स्कूल राज्य सरकार / स्थानीय प्राधिकारी के ऐसे अनुदेशों का पालन करेगा जैसा की स्कूल के संचलन की कमियों को दूर करने के लिए अथवा मान्यता कि शर्तों की निरंतर पूर्ती सुनिश्चित करने हेतु जारी कि जाय ।
13. सोसायटी / न्यास यदि कोई हो के पंजीयन का नवीनीकरण किया जायेगा ।
14. अधिनियम एवं नियम के उपबंधों और मान्यता की शर्तों का उल्लंघन पाए जाने पर तथा सिद्ध हो जाने पर मान्यता वापस ले ली जाएगी।

जिला शिक्षा अधिकारी,
बेमेतरा

पृ. क्र./ 8430 अशास.मान्यता / अनुमति / 2024 / बेमेतरा, दिनांक 29.04.2024

प्रतिलिपिः–

1. सचिव, छ.ग.मा.शि. मंडल रायपुर को सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
2. संयुक्त संचालक, शिक्षा संभाग दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
3. कलेक्टर, जिला बेमेतरा को सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
4. संबंधित नोडल प्राचार्य शास.उ.मा.वि. .... को सूचनार्थ।
5. संबंधित संस्था प्रमुख प्राचार्य ....प्रेरणा वि0भा.का0 पंडरिया.... को सूचनार्थ। निर्देशित किया जाता है कि आगामी सत्र के पूर्व शाला द्वारा उक्त प्रभाव के शर्तों की पूर्ति कर ली जावे अन्यथा आगामी सत्र में मान्यता पर विचार संभव नहीं होगा।

जिला शिक्षा अधिकारी,
बेमेतरा